रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शुक्रवार फरवरी 1, 1985/माघ 12, 1906
NO. 45] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 1, 1985/MAGHA 12, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1985

सं. 13/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 64(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 201/79-केन्द्रीय

उत्पाद-शुल्क, तारीख 4 जून, 1979 का आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के उपाबन्ध में, पैरा 5 में, अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु कलक्टर, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी विनिर्माता या विनिर्माताओं के वर्ग की दशा में खण्ड (क), (ख) और (ग) के उपबन्धों को शिथिल कर सकता है ।" ।

[फा. सं. 211/8/84-के. उ. शु.-6]

वी. के. पुरी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1985

No. 13|85-CENTRAL EXCISES

GSR 64(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 201|79-Central Excises. dated the 4th June, 1979, namely:—

In the Appendix to the said notification, in paragraph 5, the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that the Collector may, for reasons to be recorded in writing, relax the provisions of clauses (a), (b) and (c) in the case of any manufacturer or a class of manufacturers.".

[F. No. 211|8|84-CX.6]

V. K. PURI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985